Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का प्रथम दिवस [संख्या १

बुधवार, २४ अप्रेल, १९५७

———

विधान सभा की बैठक प्रातः ११-५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

[कार्यकारी अध्यक्ष, श्री नारायणसिंह मसूदा पदासीन]

श्री नारायणसिंह मसूदा की कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति

श्री सचिव, विधान सभा (श्री मनसाराम पुरोहित): I will read out a Notification regarding the appointment of Shri Narayan Singh of Masuda as provisional Speaker:

"No. FI (K) (5) LJ (K)/57 (6) Jaipur dated 22nd April, 1957.

In supersession of this Department Notification of even No. dated the 15th April, 1957, and in exercise of the powers conferred by article 180 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan has been pleased to appoint Shri Narain Singh of Masuda, a mem berof the Second Rajasthan Legislative Assembly, to perform the duties of Speaker of

the said Assembly during its session commencing on the 24th day of April, 1957, until such time as a Speaker shall have been elected.

By order of the Governor,
Prabhu Dayal Loiwal

Law Secretary to the
Government".

सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेने सम्बन्धी विज्ञप्ति

I will now read out to the House a Notification regarding the appointment of Shri Narain Singh of Masuda as the person before whom members will make the oath or affirmation:

"No. F 1 (K) LJ (K) /57 (7) Jaipur, dated 22nd April 1957.

In superssesion of this Department Notification of even number dated the 15th April, 1957, and in exercise of the powers conferred by article 188 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan has been pleased to appoint Shri Narain Singh of Masuda as the person before whom members of the Second Rajasthan Legislative Assembly shall make

(श्री मनसाराम पुरोहित)

and subscribe an oath or affirmation.

By order of the Governor,
Prabhu Dayal Loiwal
Secretary to the Government."

राज्यपाल के समक्ष श्री नारायणसिंह मसूदा द्वारा शपथ

Now I will read out a Notification regarding the oath made and subscribed by Shri Narain Singh of Masuda before the Governor:

"No. 107/LA/57 Jaipur dated 23rd April, 1957.

'Shri Narain Singh of Masuda, Member, Rajasthan Legislative Assembly, has made and subscribed an oath before the Governor on the 23rd April, 1957, at 4.30 P. M. in accordance with Form VII set out in the Third Schedule to the Constitution of India."

सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री कार्यकारी अध्यक्ष (श्री नारायणसिंह ऑफ मसूदा) : Members will now make or subscribe oath or affirmation.

श्री सचिव, विधान सभा (श्री मनसाराम पुरोहित) : Shri Mohan Lal Sukhadia.

आह्वान के लिये निर्धारित समय न देने सम्बन्धी आपत्ति

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम): On a point of order, Sir, according to Rule 3 of the Rules of Procedure, we are entitled to 14 days' notice for the summoning of the House. The summonses issued by the Secretary for summoning the House were dated 12th, and according to that the House could have been summoned on the 27th. That seems not according to rules.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष: I will invite attention of the Member to the proviso:

"Provided that if a Session is called at short notice, the Secretary shall intimate the time and place for the meeting of the Assembly to members in such other manner as the Speaker may direct."

That is correct.

श्री अर्जुनदास : Mr. Speaker, but then ostensibly there must be some difference. If the summonses have not been issued under sub-rule (2) there must be some difference between sub-rule (2) and the proviso.

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद): As a matter of fact, you have given your ruling and after your ruling, Sir, there must be no discussion about it.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : I have not yet given the ruling.

श्री अर्जुनदास : So I was already submitting that under sub-rule (2) also the Secretary has not issued the notification, mentioning the

(श्री अर्जुनदास)

proviso. If the Secretary wants to issue the summonses under the proviso it is necessary to say that he has done so under the proviso. He has failed to do so. As such the present summons is under sub-rule (2) and not under the proviso, Sir.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : It is understood that the proviso has been used. So it is correct.

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : सुनाई नहीं आता है। हिन्दी में बोलना चाहिए कम से कम, आवाज नहीं आ रही है।

श्री अर्जुनदास: माइक की खराबी है।

सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण

श्री सचिव, विधान सभा (श्री मनसाराम पुरोहित) : श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)
(हिन्दी में शपथ)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)
(अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)
(हिन्दी में शपथ)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री)
(हिन्दी में शपथ)

श्री सम्पतराम (उप-मंत्री)
(हिन्दी में शपथ)

श्री भीखाभाई (उप-मन्त्री)
(हिन्दी में निम्न शपथ :)

"मैं, भीखाभाई, जो विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूं (पक) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्टा रखूंगा (....और....सुनाई नहीं देता,दिखाई नहीं देता....) तथा जिस पद को मैं ग्रहण (करूँगा) करने वाला हूँ उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक (निरवहन) निर्वहन करूंगा।"

श्री भैरूंसिंह(१४)—शपथ अच्छी तरह से नहीं ली गई।

(हंसी)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप-मन्त्री)
(हिन्दी में शपथ)

श्री भूखचन्द धारीवाल (उप-मन्त्री)
(हिन्दी में शपथ)

श्री अब्दुल गफ्फार खां (फतहपुर)
(खुदा के नाम पर हलफ)

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर)
(खुदा के नाम पर हलफ)

श्री अमरा (प्रतापगढ़)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई गई)

श्री अमृतलाल पायक (प्रतापगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीमती आनन्दीदेवी (बारां)
(हिन्दी में शपथ)

श्री आनन्दसिंह (जोधपुर प्रथम)
(हिन्दी में शपथ)

Page No.4

(श्री मनसाराम पुरोहित)

श्री अनोपसिंह (बालोतरा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री अर्जनदास (अजमेर-सीटी पश्चिम)
(अंग्रेजी में शपथ)

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री बालमुकन्द (डूंगरपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री बरकतुल्लाह खां (जोधपुर द्वितीय)
(अंग्रेजी में शपथ)

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा)
(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह खाचरियावास (श्री माधोपुर)
(हिन्दी में सत्यनिष्ठा)

श्री भैरोंसिंह खेजड़ला (बिलाड़ा)
(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल (हिन्डोली)
(हिन्दी में शपथ)

श्री भवानी शंकर (कपासिन)
(हिन्दी में शपथ)

श्री भीमसेन (लूनकरणसर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री भोगीलाल पंड्या (आसपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़, अलवर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई)
(हिन्दी में शपथ)

श्री बृजेन्द्रपाल (करौली)
(हिन्दी में शपथ)

श्री बृजमोहनलाल (ब्यावर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर)
(हिन्दी में प्रतिज्ञान)

श्री चन्दरसिंह (बहरोड़)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीमती चन्द्रकला (किशनपोल, जयपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री छोटूसिंह (अलवर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री दलीपसिंह (बारां)
(हिन्दी में शपथ)

श्री दलपतसिंह (आबू)
(अनुपस्थित)

श्री दौलतराम (डूंगरगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री देवा (बाली)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री देवीलाल (सारड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री देवनाथ (गंगानगर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री धन्नालाल हरित (छाबड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

Page No.5

(श्री मनसाराम पुरोहित)

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री डूंगरसीदास (जमवा-रामगढ)
(हिन्दी में शपथ)

श्री फतहसिंह (भीम)
(हिन्दी में शपथ)

श्री गज्जा (मीणापटी)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ)
(हिन्दी में शपथ)

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीमती गौरी पुनिया (डेगाना)
(हिन्दी में शपथ)

श्री घासीराम यादव (तिजारा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री गिरधारीलाल (नोखा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ, अलवर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री गोपाललाल (मेड़ता सिटी,
(हिन्दी में शपथ)

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। अभी सभी लोगों को ईश्वर की शपथ दिलवाई जा रही है। यह ईश्वर की शपथ नहीं होनी चाहिए, ईश्वर को तो साक्षी करके ही कुछ कह सकते हैं। ईश्वर को ही साक्षी रख कर शपथ ले सकते हैं। यह तो एक बड़े मज़ाक की बात है। मैं तो जानता हूँ कि ईश्वर एक ऐसी वस्तु है जिसकी शपथ नहीं खाई जा सकती है, उसकी तो साक्षी की जासकती है। यह जो हिन्दी अनुवाद है बिलकुल गलत है....

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : यह सम्भव हो सकता है....

श्री जनार्दनराय नागर : मैं अभी बराबर सोच रहा था कि ईश्वर की शपथ जो अब तक खाई जा रही है यह बिलकुल गलत चीज है। ईश्वर को साक्षी कर शपथ खाने की तो कोई बात हो सकती है।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : आपका सुझाव सुन्दर है। लेकिन इस समय 'शपथ' शब्द का ही उपयोग किया गया है।

आपके सूचनार्थ, कॉन्स्टीट्यूशन में भी यही फोर्म प्रेस्क्राइब किया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : I would like, Mr. Speaker, to read the English version. I would like that we must be informed whether there is misnomer of the whole thing. I would request your honour to read out the actual English version of the thing going on here in Hindi.

श्री बरकतुल्लाह खां (जोधपुर द्वितीय) : Mr. Speaker, Sir, the oath is legal. You have administered oath to a number of members. I do not think there is any objection to this oath. There should be no discussion on this subject; once it has been said, it is a valid oath.

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Speaker, Sir, with your permission I would like to bring it to your

Page No.6

(श्री जनार्दन राय नागर)

notice that many Hindi translations issued by this Assembly are awfully incorrect. It is the duty of the members of this House to draw your attention to the most absurd incorrections in the Hindi versions issued to us. I do not object to the substance of taking oath here, but I do mean that we must be regularised and we must be correct in whatever we do here in this august House. I am surprised at my friend's rejection of my harmless objection. I have no objection to taking of oath. So many members have taken the oath, but I do mean that it should be taken with reason and with discretion.

श्री बरकतुल्लाह खां : Sir, the oath having been acc pted once as valid one and having been trans lated as such in the Hindi version, I do not think the occasion is now ripe to enter into any controversy, thereby trying to ridicule us. Once the form has been accepted as valid one, it should continue to be administered in this manner and there should be no change at this stage.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष (श्री नारायण सिंह मसूदा) : इस समय तो जो फॉर्म प्रेस्काइब हो गया है उसी के अनुसार यह शपथ की कार्यवाही होगी और आगे के लिए आप अलग तरह से इस बात का सुझाव धारा सभा में रख सकते हैं और जो कुछ भी संशोधन इसमें करना हो वह अलग तरह से किया जा सकता है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर)—यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार हो सकता है जब कि ऐसा करना संभव ही नहीं है? जब कि हमारे कॉन्सटीट्यूशन में आप संशोधन करने की बात कह रहे हैं तो वह यह धारा सभा कैसे कर सकती है? साथ ही यह जो ट्रान्सलेशन है वह स्वीकृत हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है और जो प्रेस्काइब किया गया है, चाहे वह हिन्दी में हो या अंग्रेजी में हो वही ऑथेन्टिक है और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता है। बाद में सुझाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : मेरा तात्पर्य यह है कि अभी तो यही होगा। यह ऑथेन्टिकेटेड वर्जन (authenticated version) है। इसके बाद अगर किसी को कोई इसमें सुझाव देना है तो उसे वे यहां रिज़ोल्युशन के रूप में भी रख सकते हैं, कॉन्स्टीट्यूशन के प्रति भी यहाँ रिज़ोल्युशन रख सकते हैं; हालां कि यह बात अलग है कि इसमें परिवर्तन कर सकना इस धारा सभा की सीमा में है कि नहीं। इस समय तो यही संविधान द्वारा स्वीकृत वर्ज़न है और उसी को स्वीकार किया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद : जो ईश्वर की शपथ नहीं लेना चाहें उनके लिये क्या प्रोवीजन है?

(विराम)

Further, I draw your attention to the fact that those members who do not believe in God as such,

Page No.7

(श्री ज्वाला प्रसाद)

for them there must be some way out.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष—There is this solemn affirmation.

सत्यनिष्ठा से कहने का विकल्प है उनके लिये और मेरे ख्याल से सत्यनिष्ठा से किसी को आपत्ति नहीं होगी।

(विराम)

(श्री सचिव से) Continue, बोलिये।

(श्री सचिव द्वारा संविधान की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् पुनः)

मैं माननीय सदस्यों के सूचनार्थ संविधान द्वारा स्वीकृत वर्जन पढ़ कर आपको सुना देता हूँ :

"मैं..................जो विधान सभा के लिये सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रक्खूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा-पूर्वक निर्वहन करूंगा।"

मेरे विचार से अब शंका का समाधान तो हो ही चुका है और अब हम इस शपथ के कार्य को जारी रखेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : Thank you Mr. Speaker. By your citing the Constitution we have been now××

श्री तनसिंह : I object to the words, "terrible non-sense', used here.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष I have already given my ruling and the oath cermony will continue.

××श्री अध्यक्ष की आज्ञा से यह अभिव्यक्ति कार्य-विवरण में से हटाई गई।

श्री सचिव श्री मनसाराम (पुरोहित) :

श्री गोपीसहाय (महवा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री गोरधनसिंह (बयाना)
(हिन्दी में शपथ)

श्री गुलाबसिंह (वल्लभनगर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री ज्ञानचन्द (नीम का थाना)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हंसिया (जालोर)

(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हरिकिशन (राजगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हरिश्चन्द्र (डग)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हजारीलाल (केकड़ी)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हीरा (कुशलगढ़)
(अनुपस्थित)

श्री होतीलाल (भरतपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री हुकमसिंह (जैसलमेर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन)
(हिन्दी में शपथ)

श्री जयसिंह राणावत (आसींद)
(हिन्दी में शपथ)

श्री जनार्दनराय नागर (मावली)
(हिन्दी में प्रतिज्ञान)

Page No.8

(श्री मनसाराम पुरोहित)

श्री जयेन्द्रसिंह (झालरापाटन)
(हिन्दी में शपथ)

श्री जेठमल (नावां)
(हिन्दी में शपथ)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग)
(हिन्दी में शपथ)

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद)
(हिन्दी में प्रतिज्ञान)

श्री कालू (मांडल)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय (भीलवाड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री काना (शाहपुरा)
(श्री अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री केसरीसिंह (फलौदी)
(अंग्रेजी में शपथ)

श्री किशनलाल (नाथद्वारा)

श्री किशनलाल शाह (नावां) : (मौखिक) मैं किशनलाल शाह, जो इस विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधिवत् स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जो पद मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके उत्तरदायित्वों का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास) : इस फॉर्म में 'उत्तरदायित्व' शब्द नहीं होकर 'कर्तव्यों' शब्द है। यदि उसी फार्म में शपथ लिवाना हो तो 'कर्तव्यों' शब्द का प्रयोग होना चाहिए।

(श्री कार्यकारी अध्यक्ष: श्री किशनलाल शाह से) आप फिर से ओथ लें।

श्री किशनलाल शाह : मैं किशनलाल शाह जो इस विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधिवत् स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जो पद ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।

(श्री भैरोंसिंह खाचरियावास द्वारा बैठे बैठे "विधि द्वारा" है)

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित):

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़, सीकर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री किशनाराम (रतनगढ)
(हिन्दी में शपथ)

श्री लच्छूराम (मंडावा)
(हिन्दी में प्रतिज्ञान)

श्री लादू (दूदू)
(हिन्दी में शपथ)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री लालूराम (टोंक)
(हिन्दी में शपथ)

श्री लालसिंह शक्तावत (चित्तौड़गढ़)
(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण (गोगुंदा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्री माधोसिंह (आहोर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री महादेव प्रसाद बंका (खेतड़ी)
(हिन्दी में शपथ)

श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर पूर्व)
(अनुपस्थित)

Page No.9

(श्री मनसाराम पुरोहित)

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री माणकचन्द (जायल)
(हिन्दी में शपथ)

श्री मंगलसिंह (रानीवाड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री मांगीलाल (सवाई माधोपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री मनरूप (खारची),
(हिन्दी में शपथ)

राजा श्री मानसिंह (वैर)
(अंग्रेजी में शपथ)

श्री मोडूलाल (हिन्डोली)
(हिन्दी में शपथ)

श्री मोघजी (बांसवाड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही)
(अंग्रेजी में शपथ)

श्री मोहरसिंह (चूरू)
(हिन्दी में प्रतिज्ञान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली)
(हिन्दी में शपथ)

श्री मोती (बाली)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री मोतीलाल (डीडवाना)
(हिन्दी में शपथ)

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री मुरलीधर (बीकानेर सिटी)
(अनुपस्थित)

श्री नारायणलाल (नीम का थाना)
(हिन्दी में शपथ)

श्री नारायणसिंह (टोंक)
(हिन्दी में शपथ)

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू)
(हिन्दी में शपथ)

श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू)
(हिन्दी में शपथ)

श्री नरपतसिंह (जालोर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री नत्थीसिंह (कामां)
(हिन्दी में शपथ)

श्री नाथूलाल (लालसोट)
(हिन्दी में शपथ)

श्री नाथूराम (बागीडोरा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री निरंजननाथ (राज समन्द)
(हिन्दी में शपथ)

श्री परसराम (ओसियां)
(हिन्दी में शपथ)

श्री फूना (सलूम्बर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीमती प्रभा (पुष्कर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट)
(हिन्दी में शपथ)

श्री पिरथीराज (गंगापुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़)
(अनुपस्थित)

श्री राजाराम (सूरतगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

Page No.10

(श्री मनसाराम पुरोहित)

श्री रामचन्द्र (डग)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामदान (गुढामालानी)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री रामदेवसिंह (सिंग्रावट)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामधन (दौसा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामकिशन (नोहर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामलाल बंसीवाल (जमवा-रामगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामनारायण (पीपलदा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामनिवास मिर्धा (लाडनूं)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रामप्रसाद (शाहपुरा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रावत (बालोतरा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रावतराम (चूरू)
(हिन्दी में शपथ)

श्री रिद्धिचन्द (गंगापुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीरूपाराम (नोरू)
(हिन्दी में शपथ)

श्री सहदेव (आमेर)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीसज्जनसिंह (बूंदी)
(हिन्दी में शपथ)

श्री संपतराज (अकलेरा)
(हिन्दी में शपथ)

रा. रा. श्री सरदारसिंह (उनियारा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री सतीशचन्द्र (जौहरी बाजार, जयपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीमती सतवन्त कौर (करणपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री शंकरलाल (रायपुर)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीमती शन्नोदेवी (सुजानगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्री शिवपतसिंह (हनुमानगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी)
(हिन्दी में शपथ)

श्री शिवचरण दास (मांडल)
(हिन्दी में शपथ)

श्री शिवनाथसिंह (गुढा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री श्रीनिवास (निम्बाहेड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री श्रीराम (नवलगढ़)
(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल (सलूम्बर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री श्रीमानसिंह (बयाना)
(अंग्रेजी में प्रतिज्ञान)

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी)
(हिन्दी में शपथ)

श्री सुगनचन्द जैन (बेगूं)
(हिन्दी में शपथ)

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी)
(हिन्दी में शपथ)

श्री सूरजमल (फलोदी)
(हिन्दी में शपथ)

श्री तनसिंह (बाड़मेर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री तेजाराम (सोजत)
(हिन्दी में शपथ)

(श्री मनसाराम पुरोहित)

श्री तेजमल चापना (बनेड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री तेजपाल (वैर)
(हिन्दी में शपथ)

श्री टीकाराम पालीवाल (महुवा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री उम्मेद (करौली)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री वीरका (सिरोही)
(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई)

श्री विनू (खारची)
(हिन्दी में शपथ)

श्री विद्यासागर (फलासिया)
(हिन्दी में शपथ).

श्री वली मोहम्मद (चोहटन)
(खुदा के नाम पर हलफ)

श्री भैरूसिंह (श्री माधोपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष, अभी जिस समय शपथ व प्रतिज्ञान ग्रहण करने की कार्यवाही हो रही थी उस समय उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठाई थी। उस आपत्ति द्वारा उन्होंने यह मांग की थी कि ईश्वर की शपथ लेने के स्थान पर ईश्वर की साक्षी लेने की बात रखी जाय। उस पर माननीय अध्यक्ष की ओर से यह निर्णय दिया गया था कि हमारे संविधान में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसी के अनुरूप शपथ व प्रतिज्ञान दिलायी जा रही है। उन माननीय सदस्य ने कहा, "Thank you, Mr. Speaker, by your citing the Constitution now we have been relieved of terrible non-sense going on here."

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को इस प्रकार के शब्द कहने की रियायत सदन से बाहर हो सकती है, किन्तु सदन में नहीं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सदन में करना, मैं समझता हूँ, पूरे सदन की मान-हानि है और इस प्रकार की मनोवृत्ति का परिचय माननीय सदस्य ने सदन की कार्यवाही के प्रथम दिन दिया और उस समय दिया जिस समय कि माननीय सदस्य शपथ ग्रहण कर रहे थे और उस विधान के प्रति शपथ ग्रहण कर रहे थे जिसके अनुसार कार्य होगा। उस विधान के प्रति अनुत्तरदायित्व पूर्ण शब्दों का भावावेश में प्रयोग करना, मैं समझता हूं, घोर आपत्तिजनक है। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन की मान-हानि की है, अतएव उनसे कहा जाय कि वे अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष (श्री नारायण सिंह मसूदा):मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूँगा कि उन्होंने ये शब्द, "Terrible non-sense going on here" किस सिलसिले में कहे साधारणतया उन्होंने बोलते हुए कह दिये या शपथ ग्रहण करने के बारे में कहे, इस विषय में स्पष्टीकरण कर दें।

श्री भैरूसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि "Terrible non-sense going on here" ये शब्द उन्होंने उस सिलसिले में कहे जब कि माननीय सदस्य शपथ ले रहे थे। उन्होंने शपथ ग्रहण करने की कार्यवाही को "Terible non sense" कहा। मैं समझता हूं इस प्रकार के शब्दों

Page No.12

(श्री भैरूसिंह)

का प्रयोग करना सारे सदन का अपमान है, इसमें विवादास्पद कोई चीज नहीं है। वे चाहे किसी भाव को लेकर कहें, लेकिन उनकी मन्शा स्पष्ट थी कि संविधान में जो इस प्रकार की व्यवस्था है वह "Terrible nonsense" है, यह उनका कहना था। अब चाहे जो कुछ भी स्पष्टीकरण करें, लेकिन जो शब्द वे बोले हैं और जो उनके भाव थे वे इस बात के द्योतक हैं कि इससे सदन का अपमान हुआ है और उन अपमान सूचक शब्दों को दूर करने का एक मात्र हल यही है कि उनसे वे शब्द वापिस लेने के लिये कहा जाय।

श्री जनार्दनराय नागर: Mr. Speaker, I want to say that my hon'ble friend on the opposite is not conversant with the ways of speech in English talking. I never meant that I had anything contrary to the respect and dignity of this august House. On the contrary, I meant a certain change which I found to be incorrect. I have myself taken the oath and when I used those words-oath taking is the ceremony going on-it was never meant by me.

What I wanted to stress was that the Hon'ble Speaker has relieved us all from the error so far the Hindi translation of the English version was concerned. I only told that and I never mean and shall never mean to say about this august House.If there is any meaning and attraction behind it, it is not my meaning, but it is the meaning attached by the Hon'ble member sitting opposite. The oath was terrible and there is no sense if I take oath of God, and I think that you will agree with me, Sir, that taking oath of God has not any sense. I had used the phrase terrible nonsense" for that because taking oath of God has no sense. I am very sorry to say that the Hon'ble member has misunderstood me. It is not my fault. It is the fau t of my friend. I have every respect of this august House. How can I say about this august House, being a member of this august House myself. I have every respect for the House. The Hon'ble member has not followed me. We cannot take oath of God, taking oath of Universal powers, which are working in my mind, and the whole universe, if it is terrible thing. I think this explanation is clear.

श्री अर्जुन दास : Mr. Speaker, Sir, I believe.........

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : What you have said I did not hear.

श्री अर्जुनदास : I believe, Sir the Hon'ble member is damning his original statement itself. He has exaggerated.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : The Hon'ble member means to indicate and he expressed certain sentiments rather vehimently. This was reg-

Page No.13

(श्री कार्यकारी अध्यक्ष)

arding languistic error which was not quite correct to be followed here.

श्री अर्जन दास : What was the mistake ? He has tried to explain without explaining anything.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : The Hindi translation of English version which was not clear to him and probably he wanted to explain that vehemently being a literary person himself.

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष,.......

श्री जनार्दन राय नागर : I have got the right.

श्री तनसिंह : I am in possession of the House, Sir. मैं चाहता हूँ कि आप व्यवस्था दें। मैं पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करता हूँ। यदि मैं यह कहूं, "There is terrible non-sense going on here". This "here" means this House. Whether this phraseology is unparliamentry or not ?

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : You (towards Shri Janardan Rai Nagar) specifically said this phrase "terrible non-sense going on here". "Here" means this House. It means disrespect to this House.

(विपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री जनार्दनराय नागर : I am sorry that I used the word 'here'. But I never meant that. I am a member of this House and I respect this august House. I would say, sir, this may be your opinion. I take that word from "here" I only mean that taking oath of God has no sense. I am sorry the Hon'ble member has taken that; it means for this House. He has twisted the whole thing. The things were flung against me.

श्री अर्जन दास : No-no, Sir, not this. This is not withadrawal.

श्री जनार्दनराय नागर : I am sorry that this unfortunate phraseology was used. I only meant that taking oath of God has no sense. This is the august House of Rajasthan. What we talk here reflects the highest standard of our people and their culture. I do mean, we cannot take oath of God. I, just as the Hon'ble Speaker said, vehemently said this and 'here' does not mean, here, this House; but out of the House. It does not mean this House.

अनेक माननीय सदस्य : No-no, Sir.

श्री अर्जन दास : The Hon'ble member should withdraw this phrase.

श्री जनार्दन राय नागर : I have already given the explanation. I want to respect 'this House, Sir.

(बाधायें)

श्री अध्यक्ष : Order please ! We have compared with the proceedings. The words are "terrible non-

Page No.14

(श्री कार्यकारी अध्यक्ष)

sense is going on here." The words are mis-placed. Probably you never meant this, but conveyed by this phrasology. Probably you have withdrawn these words.

श्री अर्जनदास : No, Sir, he has not withdrawn.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : I will request the Hon'ble Member to withdraw these words so that no doubt may remain.

(विपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री जनार्दनराय नागर : I have no objection to withdraw. If this is your order, Mr. Speaker, then I have no objection.

श्री अर्जनदास : Not yet withdrawn, Sir.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष: He has withdrawn.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : He should withdraw these words, "terrible non-sense going on here".

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : He has expressed that he has withdrawn.

श्री अर्जनदास : He has said, I have no objection in withdrawing.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : You have withdrawn the words ?

श्री भैरोंसिंह (१४) : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से वापिस भी लेते हैं तो भी यह सेन्टेन्स, जिसके द्वारा उन्होंने वापिस लिया है, ठीक नहीं रहता ।

श्री जनार्दनराय नागर : With your permission I would say, Sir, that if any person having a will of conviction at me, I am sorry, I connot submit. I respected the interpretation and also respected your order.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : So, in respecting the order you have withdrawn these words ?

श्री जनार्दनराय नागर : Respecting means...........

श्री अर्जनदास : Sir, he must withdraw these words.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : Please explain in clear terms that you have withdrawn these words.

(विपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री जनार्दनराय नागर : I am unable to say more than this, Sir, I respect the Order, I respect the interpretation.

श्री अर्जन दास : Sir, he is challenging the order.

श्री जनार्दनराय नागर : You cannot put my mouth like that......

(बाधायें)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : So, you have withdrawn.

Page No.15

श्री जनार्दनराय नागर : I will not say more than this, Sir.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : He has withdrawn.

श्री अर्जुनदास : No, Sir, he has not withdrawn.

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : The whole thing amounts to withdrawal and he has withdrawn the words.

श्री अर्जुनदास : He refuses to do that.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) But when he (Mr. Speaker) says that he has withdrawn......

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : My rulings are clear. The words are withdrawn and they will be deleted from the proceedings.

श्री भैरोंसिंह (१४) : कौन से ?

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : "This terrible non-sense that is going on here."

अब जो माननीय सदस्य देर से आये हैं उनके नाम बोले जायेंगे।

श्री सचिव—(श्री मनवाराम पुरोहित):

श्री दामोदरलाल व्यास
(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल
(हिन्दी में शपथ)

श्री भैरूसिंह खेजड़ला (बिलाड़ा)
(हिन्दी में शपथ)

श्री दलपतसिंह (आबू)
(अनुपस्थित)

श्री हीरा (कुशलगढ़)
(हिन्दी में शपथ)

श्री लालसिंह शक्तावत (चित्तौड़)
(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह फोम (अजमेर ईस्ट)
(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर (बीकानेर)
(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़)
(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम (नवलगढ़)
(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—सदन की आज की कार्यवाही स्थगित होती है और कल ८।। बजे तक सदन की बैठक स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १-३७ बजे, गुरुवार, दिनांक २५ अप्रैल, १६५७, के ८।। बजे प्रात: तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, २४ अप्रैल, १९५७)

सकम्भ

श्री नारायणसिंह मसूदा की अस्थायी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति १.

श्री नारायणसिंह मसूदा की राज्यपाल द्वारा अस्थायी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति श्री सचिव द्वारा पढ़ी गई।

सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेने सम्बन्धी विज्ञप्ति २.

श्री सचिव महोदय ने, श्री नारायणसिंह मसूदा को राज्यपाल द्वारा सदस्यों को शपथ अथवा प्रतिज्ञान दिलवाने हेतु नियुक्ति करने सम्बन्धी विज्ञप्ति पढ़ी।

राज्यपाल के समक्ष श्री नारायणसिंह मसूदा द्वारा शपथ ३.

श्री सचिव ने वह विज्ञप्ति भी पढ़ी जिसके द्वारा सदन को सूचित किया गया कि श्री नारायणसिंह मसूदा ने २३ अप्रैल, १९५७ को राज्यपाल के समक्ष शपथ ले ली।

आह्वान के लिए निर्धारित समय न देने सम्बन्धी आपत्ति ३.

जब शपथ दिलवाने का कार्य प्रारम्भ हो ही रहा था कि एकाएक श्री अर्जुनदास ने एक औचित्य प्रश्न उठाया कि सदस्यों को १४ दिन की सूचना नहीं दी गई। विशद वाद-विवाद के पश्चात् अध्यक्षीय पद से यह निर्णय हुआ कि कार्य संचालन की नियमावली के नियम ३ के प्रावधान के अन्तर्गत सदस्यों को सूचना दी गई थी।

सकम्भ

सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण ५.

१७६ में से १६८ सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करते समय श्री जनार्दन राय ने एक औचित्य प्रश्न यह उठाया कि अंग्रेजी से हिन्दी में जो अनुवाद हुआ है कि "मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ" वह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर की शपथ नहीं ली जा सकती, केवल ईश्वर को साक्षी करके शपथ ली जाती है। इस पर अध्यक्षीय पद से यह निर्णय हुआ कि संविधान में जो अनुवाद हुआ है वह बिल्कुल ठीक है। और वही मान्य समझा जावे।

बृहस्पतिवार, दिनांक २५ अप्रैल १९५७ (प्रातः) की कार्य-सूचि

श्री अध्यक्ष का निर्वाचन

शुद्धि-पत्र

(बुधवार दिनांक २४ अप्रैल, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६	१	आह्वान सम्बन्धी आपत्ति	शपथ-प्रतिज्ञान
१४	१	श्री सचित्र श्री मनसाराम (पुरोहित)	श्री सचित्र (श्री मनसाराम पुरोहित)
२६	२६	श्री अध्यक्ष	श्री कार्यकारी अध्यक्ष
२७	७	bare withdrawn	have withdrawn
३०	२	श्री सचिव-(श्री मनसाराम पुरोहिव)	श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)
३१ व ३२	३	सकम्भ	स्कम्भः
३२	१२	प्रतिज्ञन ग्रहण	प्रतिज्ञान ग्रहण
६२	११	कार्य सूचि	कार्य-सूची